राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- सटू/2018-19/250

दिनांक :- 18-3-19

कार्यालय आदेश

मण्डल (मुख्यालय) में पदस्थापित अधिकारियों तथा मण्डल के वृत एवं खंड कार्यालयों के अधिकारियों के लिए टैक्सी वाहन अनुकूलन के आदेश पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F9/[1] FD(1) Budget 2015 दिनांक 15.07.2015 की शर्तें व दरों तथा मण्डल की शर्तें व दरों पर माह अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक लगाने हेतु मण्डल के आदेश क्रमांक सटू 2017-18/81 दिनांक 05.10.2017 तथा 82 दिनांक 05.10.2017 तथा समय-समय पर अन्य आदेशों द्वारा लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसकी कार्यवाही आदेश क्रमांक 94 दिनांक 28.09.2018 द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक बढाई गई थी। जो समाप्त होने जा रही है। अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा होने के कारण चुनाव आयोग सहित लागू हो गई है। इस कारण से नई नियमानुसार आमंत्रण नहीं की जा सकती। मण्डल में विभिन्न आदेशों में संबंधित सभी टैक्सी वाहनों की सामायिक (दिनांक 01.04.2019 से 30.06.2019 तक) बढाई जाती है। जिसकी शर्तें व दरें पूर्व आदेशों के अनुरूप यथावत रहेंगी।

उक्त आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. निजी सचिव-आयुक्त/आवासन आयुक्त/मु.आ.-दु/1/II रा.आ.म. जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मु. ले. 2016 लेखाधिकारी, रा.आ.म. जयपुर।
3. मुख्य अभियंता।..........................................................रा.आ.म. जयपुर।
4. निदेशक विधि/मुख्य समिति प्रबंधक/उप-सचिव, रा.आ.म. जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.म. .........................।
6. उप आवासन आयुक्त।.................................................रा.आ.म. .........................।
7. आवासीय अभियंता।..................................................रा.आ.म. .........................।
8. समस्त वाहन प्रमाणी।.........................................................................................................................
9. लेखाधिकारी (गुटगान) रा.आ.म. जयपुर।
10. रक्षक पत्रावली।